58 60

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) म0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R-3067-III/14

मुनि प्रसाद कुशवाहा पिता स्व0 श्री विश्राम कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

434
5.8.14

निगरानीकर्ता

बनाम

राजमणि कुशवाहा पिता श्री रामाधार कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानीकर्ता

श्री ... पाठक एड. के द्वारा आज दिनांक 5-8-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनॉक 24.06.2014 प्र.क. 105/अ–66/2014–14 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 अन्तर्गत धारा 7 म0प्र0 वास स्थान दखल कार (भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 ई0

क्रमांक 2749
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज ... मान्यवर ... प्राप्त
25.8.14
कार्यालय ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :–

1.) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनॉक 24.06.2014 प्र0क0 105/A66/2013–14 अधिकारित रहित विधि व प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2.) यह कि निगरानीकर्ता भूमिहीन एवं अत्यन्त गरीब व्यक्ति है जिसका पुराना पैतृक माकान अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 382/5 रकवा 0.113 हे0 के अंश भाग 0.018 हे0 यानी साढे चार ढि0 स्थित मौजा चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 पर बना हुआ है जिस पर निगरानीकर्ता स परिवार निवास व निस्तार अर्सा पूर्व कई वर्ष से करता चला आ रहा है इसी भूखण्ड का पट्टा एवं भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने वावत्

(57)

भूमि / राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग: 3067 - III / 14 जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/6/19	इस प्रकरण में दिनांक 18/12/2018 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 105/अ-66/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24/6/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । मो0बुक सदस्य 6/6/19	